बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक.......................

सं0सं0 03/उ0नि0/(प्रशिक्षण)FDDI पटना/12–12/2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना में राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को सर्टिफिकेट इन फुटवियर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट कोर्स में छः माह का फुटवियर कटिंग एण्ड क्लोजिंग कोर्स में तीन माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹686.70 लाख (छः करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की सहायक अनुदान मद से स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृयादेश सं0–3170, दिनांक–01.09.16 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना द्वारा राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को सर्टिफिकेट इन फुटवियर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट कोर्स में छः माह का फुटवियर कटिंग एण्ड क्लोजिंग कोर्स में तीन माह का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹686.70 लाख (छः करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की सहायक अनुदान मद से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) छः माह के कोर्स के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय ₹70.00 हजार (सत्तर हजार) मात्र एवं तीन माह के कोर्स के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय ₹42.00 हजार (बेयालीस हजार) मात्र की दर से निर्धारित की गयी हैं।

(3) सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाला व्यय का 90 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(4) अनु0 जाति एवं अनु0 जन0 जाति के प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाला व्यय का शत्–प्रतिशत् वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना मे सर्टिफिकेट इन फुटवियर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट कोर्स में छः माह के लिए सामान्य जाति प्रक्षेत्र के 200 (दो सौ) अनु0 जाति प्रक्षेत्र के 588 (पाँच सौ अठासी) एवं अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के 12 (बारह) कुल 800 (आठ सौ) तथा फुटवियर कटिंग एण्ड क्लाजिंग में 3 माह का प्रशिक्षण के लिए सामान्य जाति प्रक्षेत्र के 100 (एक सौ), अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र के 245 (दो सौ पैतालीस) कुल 345 (तीन सौ पैतालीस) बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(6) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना द्वारा प्रस्तावित योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 70-75% का नियोजन/स्वनियोजित कराया जाएगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(7.) इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट उपबंध में यथेष्ट उपलब्ध राशि से की जायेगी :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये लाख में)
i.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–P2852801020135 राज्य योजना स्कीम कोड– IND-5428 विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹163.80
ii.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड–P2852807890102 राज्य योजना स्कीम कोड– IND-5428 विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹514.50
iii.	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0101–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–P2852087960101 विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	₹8.40
	कुल राशि :–	₹686.70

(रूपया छः करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र।

(8.) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 42 पर एकमुश्त कर आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना** को उपलब्ध करायेगे।

(9.) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें। कार्यान्वयन ऐजेंसी **फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना** से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा समुचित जांचोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(10.) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5428 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेगें।

(11.) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं0सं0 03/उ0नि0/(प्रशिक्षण)**FDDI पटना/12–12/2016** के पृष्ठ 13/टि0 पर दिनांक–15.12.2016 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0 सं0–369, दिनांक–14.12.2016 है।

(12) राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0 03/उ0नि0/(प्रशिक्षण)**FDDI पटना/12–12/2016** के पृष्ट–**15**/टि० पर दिनांक–20.12.2016 को प्राप्त हैं। जिसका डायरी सं0–273/**OSD** दिनांक–19.12.2016 है।

(13) वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(14) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4443/ पटना, दिनांक 22.12.16

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01(स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।